न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 79/2022

1. राम सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति बावरी निवासी चक 22 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. जगसीर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति बावरी निवासी 22 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. कश्मीर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति बावरी निवासी 22 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

अपीलांट्स

बनाम

. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार (राजस्व)
मुकलावा दिनांक 31.01.2019

उपस्थित : 1. श्री तेजा सिंह संधू, अधिवक्ता, अपीलांटस की ओर से।
2.. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

आदेश

दिनांक :28.06.2023

अपीलांटस द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट स्टेट के खिलाफ अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का करडवाली द्वारा दिनांक 15.01.2019 को रिपोर्ट पेश की थी कि चक 16/17 एन पी खसरा नं 180/335 मु.नं. 26 की 3.544 हैक्टयर राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त की है आराजी राज पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त मुकदमा धारा 22 में दर्ज करके नोटिस जारी किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि दिनांक 31.01. 2019 तक अपना अभिभोग हटा लेवें। दिनांक 31.01.2019 को अपीलांटस हाजिर नहीं आये व अधीनस्थ न्यायायल ने अपीलांटस को बिना समुचित अवसर दिये, बिना जवाब पेश किये आदेश पारित कर दिया। वादग्रस्त रकबा 16/17 एन पी मु. नं. 26 में अपीलांटस के पति/पिता के नाम से 1956 से टीसी पर चला आ रहा था जो 1971 तक टीसी पर था जिसमें टीसी का नवीनीकरण बंद कर दिया और अपीलांटस के पति/पिता का पूर्व में कब्जा था उसके बाद अपीलांटस का कब्जा है जिसके संबंध में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन करने के लिए एसडीएम रायसिंहनगर के समक्ष कार्यवाही कर रखी है। प्रार्थी का प्रकरण 2008 से उपखण्ड अधिकारी के पेंडिग है लेकिन अभी तक अलॉटमेन्ट नहीं किया गया है। अपीलांटस 1956 से राजस्थान में रह रहे है उक्त रकबा के अलावा कोई भी रकबा अपीलांटस का नहीं है इसी पर जीवनयापन हो रहा है। उक्त रकबा टीसी पर चली आ रही थी और लगातार कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का करडवाली द्वारा दिनांक 15.01.2019 को रिपोर्ट पेश की थी कि चक 16/17 एन पी खसरा नं 180/335 मु.नं. 26 की 3.544 हैक्टयर राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त की है आराजी राज पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त मुकदमा धारा 22 में दर्ज करके नोटिस जारी किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि दिनांक 31.01.2019 तक अपना अधिभोग हटा लेवें। दिनांक 31.01.2019 को अपीलांटस हाजिर नहीं आये व अधीनस्थ न्यायायल ने अपीलांटस को बिना समुचित अवसर दिये, बिना जबाव पेश किये आदेश पारित कर दिया। वादग्रस्त रकबा 16/17 एन पी मु. नं. 26 में अपीलांटस के पति/पिता के नाम से 1956 से टीसी पर चला आ रहा था जो 1971 तक टीसी पर था जिसमें टीसी का नवीनीकरण बंद कर दिया और अपीलांटस के पति/पिता का पूर्व में कब्जा था उसके बाद अपीलांटस का कब्जा है जिसके संबंध में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन करने के लिए एसडीएम रायसिंहनगर के समक्ष कार्यवाही कर रखी है। प्रार्थी का प्रकरण 2008 से उपखण्ड अधिकारी के पेंडिग है लेकिन अभी तक अलॉटमेन्ट नहीं किया गया है। अपीलांटस 1956 से राजस्थान में रह रहे है उक्त रकबा के अलावा कोई भी रकबा अपीलांटस का नहीं है इसी पर जीवनयापन हो रहा है। उक्त रकबा टीसी पर चली आ रही थी और लगातार कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांटस के अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् पारित किया गया है। अपीलांटस अतिक्रमी है। अपीलांटा द्वारा आवंटन के संबंध में कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत् रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलांटस द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से चक 16/17 एन पी मु0 नं0 26 की 3.544 हैक्टयर भूमि पर अतिचार किया हुआ है। पटवारी एव भू. अ. नि. रिपोर्ट दिनांक 21.02.2022 के अनुसार चक 16/17 एन पी की खसरा सं. 180/335 के मु.नं. 26 की कुल 3.544 हैक्टयर भूमि रेकार्ड में रकबा राज हैं जिस पर अपीलांटस द्वारा नाजायज काश्त किया हुआ है।

अपीलांटस ने अपनी अपील में पैरा सं. 4 में अभिकथन किया है कि प्रश्नगत रकबा अपीलांट के पिता को 1956 से टीसी आवंटन हुआ था जिसके आधार पर अपीलांट काबिज चला आ रहा है परंतु अपीलांटस द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाधीन भूमि अपीलांटस के पिता को अलॉट हुई हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से यह पूर्णरूप से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि राजस्व रेकार्ड में आराजी राज दर्ज है और

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अपीलांटस अतिक्रमी है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता।

अतः अपील अपीलांटस अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उम्मेद सिंह रतनू)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner